



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 27 राँची, सोमवार,

11 जनवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

7 दिसम्बर, 2020

संख्या-14/आ०नी०-04-05/2020 का० 6311/--वर्तमान में संकल्प सं०-1072,
दिनांक-17.02.2009 तथा संकल्प सं०-1433, दिनांक-15.02.2019 के आलोक में राज्य
स्तरीय संवर्गों/सेवाओं में कोटिवार आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाता है।

रोस्टर क्लीयरेंस में पदों के समूहीकरण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
भारत सरकार के Reservation Brochure की कंडिका-5.4 निम्नवत है:-

" In the case of posts filled by direct recruitment, small cadres may be grouped with posts in the same group for the purpose of reservation orders taking into account the status, salary and qualifications prescribed for the posts in question."

तदनुसार झारखण्ड राज्य में आरक्षण हेतु विभिन्न संकाय के पदों को समूहीकरण के द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस करने के मामला पर विचारोपरान्त पदों के समूहीकरण (Grouping of Posts) के आधार पर आरक्षण का लाभ दिए जाने हेतु भारत सरकार के

दिशा निदेश के क्रियान्वयन पर विचार करने हेतु कमिटी का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

- | | |
|--|-----------|
| 1. विकास आयुक्त, झारखण्ड | - अध्यक्ष |
| 2. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | - सदस्य |
| 3. सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | - सदस्य |
| 4. श्री प्रवीण कुमार टोप्पो, भा०प्र०से०, सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण | - सदस्य |

विभाग (आरक्षित वर्ग के भा०प्र०से० के पदाधिकारी)

उक्त समिति सम्यक् विचारोपरान्त पदों के समूहीकरण (Grouping of Posts) के आधार पर आरक्षण का लाभ दिए जाने हेतु भारत सरकार के दिशा निदेशों के क्रियान्वयन के संदर्भ में प्रतिवेदन/मन्तव्य उपलब्ध करायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,

सरकार के उप सचिव ।
